न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 12/2017

प्रार्थी:–

खेताराम पुत्र आईदान जाति कुम्हार निवासी जवाली तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. सरपंच ग्राम पंचायत जवाली तहसील रानी
2. तुलसाराम पुत्र मेगाजी जाति सुथार के का0मु0
   - 2.1. देवी पत्नि तुलसाराम
   - 2.2. नारंगी पुत्री तुलसाराम
   - 2.3. सन्तोष पुत्री तुलसाराम
   - 2.4. विद्यादेवी पुत्री तुलसाराम
   - 2.5. सुरेश कुमार पुत्र तुलसाराम
   - 2.6. नरेश कुमार पुत्र तुलसाराम

   जातिगण सुथार निवासीगण सालरिया
3. ईश्वरसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी गुन्दोज तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2/1 व 2/5

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/03/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या 48/1968–1969 संकल्प संख्या 5 दिनांक 15.04.1969 की पालना में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.07.1970 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, जो तामील की परिभाषा में आने से तामील माना जाता है। अप्रार्थी संख्या 2/2 से 2/4 तथा अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का रहवासी कब्जासुदा, स्वामित्वसुदा मकान ग्राम जवाली में बस स्टेण्ड के पास आया हुआ है, जिसके उत्तर में सकाराम पुत्र नगाजी का पट्टासुदा मकान, दक्षिण में चमनाराम पुत्र कानाजी का पट्टासुदा मकान, पूर्व व पश्चिम में आम रास्ता एवं दरवाजा है। उक्त मकान में पूर्व में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिताजी का गत 60–70 वर्षो से निवास है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम सालरिया का निवासी होने के बावजूद

अति० जिला कलक्टर, पाली

ग्राम पंचायत से मिलावट कर प्रार्थी के रहवासी भूखण्ड का पट्टा बनवा दिया, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार का अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 256 (1) के तहत आवेदन पत्र ही पेश नही किया तथा न ही नियम 157 के तहत नक्शा शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क पेश किया। ग्राम पंचायत द्वारा किसी संकल्प द्वारा पंचों को नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत नही किया तथा न ही पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार अस्थाई निर्णय नही लिया तथा न ही कोई नियम 260 के तहत आपत्ति नोटिस जारी किया एवं न ही उक्त आपत्तियों का निपटारा किया। ग्राम पंचायत ने मोके पर आईदान का कब्जा व रहवास होते हुए भी बिना मौका देखे विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। पट्टे में वर्णित पडौस गलत दर्शाया गया है, प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को शिकायत की गई कि अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नही होते हुए भी आपने मेरे मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में गलत बनाया है, तो अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.01.1974 को प्रार्थी के पिता के हक में स्वामित्व प्रार्थी का होना स्वीकार किया, फिर दिनांक 09.05.2005 को अप्रार्थी संख्या 2 सुरेशकुमार ने भी विवाद किया तथा समझाईश बाद पुनः 100/– रूपये के स्टाम्प पर जरिये राजीनामा स्वामित्व मालिकाना हक प्रार्थी का होना स्वीकार कर हस्ताक्षर किये, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम जवाली का नागरिक ही नही था, तो उसका पुश्तैनी कब्जासुदा मकान होने का तथ्य बिल्कुल झूठा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को बाले बाले ही बेचान कर दी, जबकि न तो पट्टासुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा था एवं न ही अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इस कारण निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या 48/1968–1969 संकल्प संख्या 5 दिनांक 15.04.1969 की पालना में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.07.1970 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अनुसार दिनांक 01.02.1969 को वार्ड पंच वरदसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंचायत की भूमि को नीलाम करने का निवेदन किया। इस पर प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 01.02.1969 के अनुक्रम में मिसल दायर की जाकर नीलामी के सम्बन्ध में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 01.03.1969 को कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 02.04.1969 से 4.4.1969 तक उक्त भूखण्ड को जरिये नीलामी विक्रय करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 15.04.1969 के अनुक्रम में अन्तिम नीलामी बोली अप्रार्थी संख्या 1 की रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये तथा उक्त आदेश की पालना मे राशि जमा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत की कोरम में की गई है, जिसका इन्द्राज बैठक

अति० जिला कलक्टर, पाली

कार्यवाही रजिस्टर में है। इस प्रकार मिसल की कार्यवाही एवं पंचायत की बैठक का परस्पर मिलान होने के कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता एवं प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है, किन्तु प्रकरण में जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में जैर निगरानी मिसल की कार्यवाही का परीक्षण किया जाता है, जो स्थिति अलग प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में जो मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें मौके पर पट्टेधारक का किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया तथा कब्जा प्रार्थी का बताया है, साथ ही यह भी जाहिर किया कि मौके पर कब्जा खेताराम व उसकी बूढी माताजी का है, अपितु उनके नाम से पट्टा जारी नहीं किया गया है। मुख्य रूप से उकत मकान पर विद्युत सम्बन्ध में लिया हुआ है, जो खेताराम की माताजी सुकली पत्नि आईदान प्रजापत के नाम से लिया गया है तथा मकान पर खेताराम की माता सुकली का पुराना कब्जा होना जाहिर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण किए बिना ही मात्र कागजी कार्यवाही के तौर पर भूखण्ड को जरिये नीलामी विक्रय किया गया है, क्योंकि यदि भौतिक रूप से निरीक्षण एवं अन्य प्रक्रियाओं की पालना की जाती है, तो वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर होती, जिससे यह साबित हो जाता कि उक्त तथाकथित भूखण्ड पर प्रार्थी की माता का पुराना रहवासीय केलूपोश मकान स्थित है, जिसके कारण उक्त भूमि जरिये नीलामी विक्रय हेतु उपलब्ध ही नहीं होती। इस प्रकार प्रकरण में जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, वह संदेहास्पद पाई जाती है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या 48/1968–1969 संकल्प संख्या 5 दिनांक 15.04.1969 की पालना में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.07.1970 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत जवाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 09/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली